न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 187 सन 2022

अनवान :–

1. जगसीरसिह पुत्र मुखत्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
2. सुखविन्द्रसिह पुत्र जगसीरसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा

वादीगण

बनाम

1. हरजिन्द्र सिह पुत्र जगसीरसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील नोहर।
2. अक्की कौर उर्फ कविन्द्र कौर पुत्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
3. गोरी कोर पुत्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
4. बलदेव कौर पुत्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
5. बलवीर कौर उर्फ मनजीत कौर पुत्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
6. रानी कोर उर्फ रणजीत कोर पुत्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
7. सौदा कौर उर्फ गुरदीप कौर पुत्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 24/27 की कुल 0.7590हैक जिसमें सयुक्त तौर से जगसिह उर्फ जग्गसिह 1/2 हिस्सा , सरजीतकौर पत्नी मुख्त्यारसिह 1/16 हिस्सा व वादी संख्या 1 अकेला 1/16 हिस्सा एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 7 बहिब 1/16 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सरजीत कौर पत्नी मुख्त्यारसिह जाति जटसिख का देहान्त दिनांक 18.05.2021 को हो चुका है सरजीत कौर पत्नी मुख्त्यारसिह के जायज वारिसान वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो सरजीत कौर पत्नी मुख्त्यारसिह के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है।

जग्गासिह पुत्र जगासिह पुत्र प्रेमसिह ने अपनी जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत अपने पौत्र वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करवाई गई थी जग्गासिह उर्फ जगासिह पुत्र प्रेमसिह का देहान्त हो चुका है इसलिये जग्गासिह उर्फ जगासिह के नाम दर्ज भूमि उसकी वसीयत के अनुसार वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

इसप्रकार सरजीतकौर उर्फ मुख्त्यारसिह एवं जग्गासिह एवं जगासिह के नाम दर्ज भूमि उनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से एव वसीयत के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की सरजीतकौर उर्फ मुख्त्यारसिह एवं जग्गासिह एवं जगासिह के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन एवं वसीयत के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सरजीतकौर उर्फ मुख्त्यारसिह एवं जग्गासिह एवं जगासिह के नाम से दर्ज है सरजीतकौर पत्नी मुख्त्यारसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो विरास्तन से सरजीतकोर के नाम दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है इसीप्रकार जग्गासिह उर्फ जगासिह पुत्र प्रेमसिह का देहान्त हो चुका है जग्गासिह उर्फ जगासिह पुत्र प्रेमसिह ने अपने जीवन काल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत अपने पौत वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई जग्गासिह उर्फ जगासिह के देहान्त होने पर उसके नाम दर्ज भूमि के हकदार वादी संख्या 2 एव प्रतिवदी संख्या 1 है इसप्रकार सरजीतकौर उर्फ मुख्त्यारसिह एवं जग्गासिह एवं जगासिह के नाम दर्ज भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में उनके नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 24/27 की कुल 0.7590हैक जिसमें सयुक्त तौर से जगसिह उर्फ जग्गसिह 1/2 हिस्सा , सरजीतकौर पत्नी मुख्त्यारसिह 1/16 हिस्सा व वादी संख्या 1 अकेला 1/16 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 बहिब 1/16 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सरजीत कौर पत्नी मुख्त्यारसिह जाति जटसिख का देहान्त दिनांक 18.05.2021 को हो चुका है सरजीत कौर पत्नी मुख्त्यारसिह के जायज वारिसान वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो सरजीत कौर पत्नी मुख्त्यारसिह के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है।

जग्गासिह पुत्र जगासिह पुत्र प्रेमसिह ने अपनी जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत अपने पौत्र वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करवाई गई थी जग्गासिह उर्फ जगासिह पुत्र प्रेमसिह का देहान्त हो चुका है इसलिये जग्गासिह उर्फ जगासिह के नाम दर्ज भूमि उसकी वसीयत के अनुसार वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

इसप्रकार सरजीतकौर उर्फ मुख्त्यारसिह एवं जग्गासिह एवं जगासिह के नाम दर्ज भूमि उनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से एव वसीयत के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा

Scanned with CamScanner

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 24/27 की कुल 0.7590हैक जिसमें सयुक्त तौर से जगसिह उर्फ जग्गसिह 1/2 हिस्सा , सरजीतकौर पत्नी मुख्त्यारसिह 1/16 हिस्सा व वादी संख्या 1 अकेला 1/16 हिस्सा एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 7 बहिब 1/16 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सरजीतकौर उर्फ मुख्त्यारसिह एवं जग्गासिह एवं जगासिह के नाम से दर्ज है सरजीतकौर पत्नी मुख्त्यारसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो विरास्तन से सरजीतकोर के नाम दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है इसीप्रकार जग्गासिह उर्फ जगासिह पुत्र प्रेमसिह का देहान्त हो चुका है जग्गासिह उर्फ जगासिह पुत्र प्रेमसिह ने अपने जीवन काल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत अपने पौत वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई जग्गासिह उर्फ जगासिह के देहान्त होने पर उसके नाम दर्ज भूमि के हकदार वादी संख्या 2 एव प्रतिवदी संख्या 1 है इसप्रकार सरजीतकौर उर्फ मुख्त्यारसिह एवं जग्गासिह एवं जगासिह के नाम दर्ज भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सरजीतकौर उर्फ मुख्त्यारसिह एवं जग्गासिह एवं जगासिह के नाम दर्ज भूमि विरास्तन एव वसीयत से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 24/27 की कुल 0.7590हैक भूमि में वादी सख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 बहिब 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक सरजीत कौर , जगरसिह उर्फ जग्गसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जगसीरसिह पुत्र मुखत्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
2. सुखविन्द्रसिह पुत्र जगसीरसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा

वादीगण

बनाम

1. हरजिन्द्र सिह पुत्र जगसीरसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील नोहर।
2. अक्की कौर उर्फ कविन्द्र कौर पुत्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
3. गोरी कोर पुत्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
4. बलदेव कौर पुत्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
5. बलवीर कौर उर्फ मनजीत कौर पुत्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
6. रानी कोर उर्फ रणजीत कोर पुत्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
7. सौदा कौर उर्फ गुरदीप कौर पुत्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी माखा तहसील व जिला मानसा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 187 सन 2022 निर्णय दिनांक– 12/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 24/27 की कुल 0.7590हैक भूमि में वादी सख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 बहिब 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक सरजीत कौर , जगरसिह उर्फ जग्गसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner